राजस्थान सरकार
राजस्व मण्डल राजस्थान, अजमेर

क्रमांकः राम/प–2/1/7/रातस/2021/ 9097 दिनांकः– 16/06/2022

:: आदेश ::

राजस्व मण्डल के समसंख्यक आदेश क्रमांक 122 दिनांक 08.01.2021 के द्वारा श्री हरेन्द्र सिंह चौहान तहसीलदार करेडा जिला भीलवाड़ा का स्थानान्तरण/ पदस्थापन तहसीलदार डग जिला झालावाड़ के पद पर किया गया। उक्त आदेश के विरूद्ध श्री हरेन्द्र सिंह चौहान द्वारा मा. राजस्थान उच्च न्यायालय जोधपुर में एस.बी. सिविल रिट पीटीशन संख्या 7403/2021 हरेन्द्र सिंह चौहान बनाम सरकार दायर की गयी।

राजस्व मण्डल के समसंख्यक आदेश क्रमांक 4425 दिनांक 12.08.2021 द्वारा माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय जोधपुर द्वारा पारित आदेश दिनांक 25.05.2021 की पालना में मण्डल के आदेश दिनांक 08.01.2021 के द्वारा श्री हरेन्द्र सिंह चौहान तहसीलदार करेडा जिला भीलवाड़ा का तहसीलदार डग जिला झालावाड़ के पद पर किया गया स्थानान्तरण/पदस्थापन मा. राजस्थान उच्च न्यायालय जोधपुर के आगामी आदेश तक स्थगित किया जाकर यथावत तहसीलदार करेडा जिला भीलवाड़ा के पद पर पदस्थापित किया गया था।

अतः माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय जोधपुर द्वारा पारित आदेश दिनांक 25.05.2021 की पालना में राजस्व मण्डल के आदेश क्रमांक 122 दिनांक 08.01.2021 को श्री हरेन्द्र सिंह चौहान के सम्बंध में निरस्त कर इन्हें यथावत तहसीलदार करेडा जिला भीलवाड़ा के पद पर पदस्थापित किया जाता है।

आदेशानुसार,
16/6/22
(महावीर प्रसाद)
निबन्धक
राजस्व मण्डल राज., अजमेर

क्रमांकः सम/ 9098-110 दिनांकः– 16/06/2022
प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :–

1. निजी सचिव, माननीय अध्यक्ष महोदय, राजस्व मण्डल राज. अजमेर।
2. संयुक्त शासन सचिव, राजस्व (ग्रुप–1) विभाग ,शासन सचिवालय राज. जयपुर ।
3. संभागीय आयुक्त अजमेर।
4. जिला कलक्टर भीलवाड़ा/झालावाड़।
5. प्रभारी अधिकारी (रिट) राजस्व मण्डल को मय न्यायालय के आदेश की प्रति के अग्रिम आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है।
6. प्रभारी अधिकारी (गोपनीय/जांच/कम्प्यूटर) राजस्व मण्डल राज. अजमेर।
7. सम्बंधित श्री ....।
8. आदेश पंजिका / निजी पत्रावली।

(दीप्ति शर्मा)
अतिरिक्त निबन्धक
राजस्व मण्डल राज., अजमेर

Scanned with CamScanner